प्रेषक,

मदन मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 05 मार्च, 2021

विषय :- जनपद प्रतापगढ़ एवं आजमगढ़ में निर्माणाधीन ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक (ए0डी0टी0टी0) के परियोजना हेतु अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-212स0सु0/2021-04स0सु0/2018, दिनॉक 27-01-2021 एवं पत्र संख्या-211स0सु0/2021-04स0सु0/2018, दिनांक 27-01-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा जनपद प्रतापगढ़ एवं आजमगढ़ में निर्माणाधीन ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक (ए0डी0टी0टी0) के परियोजना हेतु अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24 वृहत निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख का प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 26-02-2020 में जनपद प्रतापगढ़ एवं आजमगढ़ में निर्माणाधीन ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक (ए0डी0टी0टी0) के परियोजना हेतु अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि के भुगतान हेतु रू0 584.90 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनपद प्रतापगढ़ एवं आजमगढ़ में निर्माणाधीन ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक (ए0डी0टी0टी0) के परियोजना हेतु अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि के भुगतान हेतु कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 26-02-2020 में अनुमोदित धनराशि रू0 584.90 लाख की निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव/कार्यदायी संस्था का नाम	समिति द्वारा अनुमोदित/संस्तुत लागत (रू0 लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि (रू0 लाख में)	अवशेष/द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	प्रतापगढ़	594.29 यूपी स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0	430.56	162.50	268.06 (रू0 दो करोड़ अड़सठ लाख छः हजार मात्र)
2	आजमगढ़	684.80 यूपी स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0	479.34	162.50	316.84 (रू0 तीन करोड़ सोलह लाख चौरासी हजार मात्र)

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित मानचित्र/डिजाइन के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(6) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(7) परियोजना का निर्माण कार्य एक वर्ष के अन्दर ही पूर्ण कर लिया जायेगा और इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(8) ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-2056/30-3-13-19बी/2013, दिनॉक 03-09-2013 में मानकीकरण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय--800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

संख्या-21/2021/337(1)/30-3-2021, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी-प्रतापगढ़ एवं आजमगढ़।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- यूपी स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।